न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सत्य नारायण—I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 110/2024 जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024/549
दायर दिनांक :— 20.06.2024 निर्णय दिनांक :— 20.04.2026

1. किसनाराम पुत्र अर्जुनराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी

—प्रार्थी

बनाम

1. जीवणराम पुत्र रणजीताराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी
2. कानाराम पुत्र रणजीताराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी
3. मंगलाराम पुत्र मानाराम जाति विश्नोई निवासी तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :—1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 2129 रकबा 4—05 बीघा ग्राम तालरिया पटवार हल्का बोड़ाना तहसील बाप जिला फलोदी (राज.) की सरहद में स्थित है। जमाबन्दी व राजस्व भू—नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। उक्त खसरा के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 20.06.2023 को जारी आदेश क्रम संख्या 23537389075 की पालना में दिनांक 07.07.2023 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर पहुंच कर मुस्तकिल बिन्दु से पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर मौतबीरान के रूबरू प्रार्थी तथा पडौसी खातेदारान को सीमा ज्ञान करवाया गया तथा सीमा चिह्न कायम किये गये। दिनांक 07.07.2023 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरे की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरे की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबन्दी इत्यादि करना शुरू करने पर अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 द्वारा व्यवधान पैदाकर प्रार्थी को तारबंदी नहीं करने दे रहे है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थी अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी,

Satya..
उप जिला मजिस्ट्रेट
बाप (फलोदी)

जाली नहीं कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 07.07.2023 के माफिक सीमा पर पत्थरगढी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने का पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि मौका कमिश्नर नियुक्त कर नेखमबदी आदेश जारी किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम तालरिया पटवार हल्का बोड़ाना तहसील बाप के खसरा नम्बर 2129 रकबा 4–05 बीघा स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 07.07.2023 अनुसार अपनी हद में पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुवे बहस में कथन किया कि पैमाईश फर्द दिनांक 07.07.2024 के अनुसार पत्थरगढी नहीं की जाकर ग्राम तालरिया पटवार हल्का बोड़ाना तहसील बाप जिला फलोदी के खसरा नम्बर 2129/2 रकबा 10–13 बीघा, खसरा नम्बर 2129/1 रकबा 10–13 बीघा एवं खसरा नम्बर 2129 रकबा 4–05 बीघा भूमि की सभी खातेदारों की उपस्थिति में पुनः पैमाईश की जाकर तीनों खसरान् की उसी अनुसार ही पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तालरिया पटवार हल्का बोड़ाना तहसील बाप के खसरा नम्बर 2129 रकबा 4–05 बीघा तथा अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2129/2 रकबा 10–13 बीघा व अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2129/1 रकबा 10–13 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 अपने–अपने नाम दर्ज वादग्रस्त भूमि के खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 वादग्ररत भूमि की मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश करवाकर की गई पैमाईश अनुसार पत्थरगढी करवाने के हकदार

उप जिला मजिस्ट्रेट
बाप (फलोदी)

है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम तालरिया पटवार हल्का बोड़ाना तहसील बाप के खसरा नम्बर 2129 रकबा 4–05 बीघा तथा खसरा नम्बर 2129/2 रकबा 10–13 बीघा, खसरा नम्बर 2129/1 रकबा 10–13 बीघा भूमि की मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश की जाकर पैमाईश अनुसार पत्थरगढी पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे किये जाने के आदेश दिये जाते है। संबंधित खातेदारों द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार बाप उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थरगढी करवावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। मौका कमिश्नर शुल्क 2000/– संबंधित खातेदारों द्वारा अदा किया जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण-I, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)